नक्कल व अहकाम जो इस ... की तामील में जारी

272/2021 तह-पचपदरा [illegible] गोविन्दराम

19/12/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्ष उपस्थित। विप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई,दौराने बहस प्रार्थी पक्ष की ओर से तर्क दिये कि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1265/23 रकबा 1–10 बीधा कृषि भूमि विप्रार्थी की खातेदारी में अवस्थित थी और विप्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि में से 7500 वर्गफीट भूमि का अकृषिक कार्य करनें के लिए बिना भूमि सम्परिवर्तन करवाये अकृषि में उपयोग ली गई,इस कारण अकृषि कार्य उपयोग लिये जाने के कारण विप्रार्थी की खातेदारी समाप्त कर राज.सरकार में इन्द्राज करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया। इसी दौराने विप्रार्थी की ओर से प्रश्नगत भूमि का नगर परिषद बालोतरा से 90 ए के तहत कार्यवाही करवा दी गई थी और नामान्तकरण भी नगरपरिषद बालोतरा के नाम इन्द्राज किया गया,लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी होने के कारण नामान्तकरण निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल की गई,जो प्रार्थी का आवेदन पत्र निस्तारण किया जावें।

इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया है,क्योकि विप्रार्थी की ओर से कृषि भूमि का कभी भी अकृषिक कार्य नहीं किया गया है,तहसीलदार पचपदरा की सर्वेयर रिपोर्ट की सूची में विप्रार्थी का नाम नहीं है,जिससे स्पष्ट है कि मौके पर विप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया गया है। जबकि विप्रार्थी की ओर से नियमानुसार विवादित भूमि की किस्म परिवर्तन करवानें के लिए नगरपरिषद बालोतारा में भूमि सम्परिवर्तन करने की पत्रावली पेश की गई,जो पत्रावली संख्या 329/2021 पर इन्द्राज की गई और नियमानुसार विप्रार्थी की ओर से सम्परिवर्तन राशि जमा करवा दी गई और बाद मौका निरीक्षण करतें हुए आयुक्त नगर परिषद बालोतारा के पत्र क्रमांक/भूमि/न.प.बा./2021/9224 दिनांक [illegible] को जरिये प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के तहत गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश दिनांक 12.11.2021 को पारित किये गये और उक्त आदेश के आधार पर विवादित भूमि का नामान्तकरण भी भरा गया। इस प्रकार प्रार्थी

व्यास 19.12.2022

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:52:58 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया है,जो सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावें। अपनी बहस को आगे ओर जारी रखतें हुए कथन किया कि विप्रार्थी द्वारा मौके पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है,अलावा इसके विप्रार्थी द्वारा नियमानुसार राशि जमा करवाकर अपनी भूमि का संपरिर्वतन करवाया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा भाम्रक तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया है,जो सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से आवेदन अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट के तहत पेश कर इस्तदुआ चाही गई कि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1267/23 रकबा 1–10 बीघा भूमि में से 7500 वर्गफीट कृषि भूमि का बिना भूमि संपरिवर्तन करवायें अकृषि कार्य में उपयोग लिये जाने के कारण विप्रार्थी की खातेदारी समाप्त की जाकर राज. सरकार खातेदारी इन्द्राज की जावें। तहसीलदार पचपदरा की ओर से उक्त आवेदन पत्र दिनांक 25.10.2021 को पेश किया। जबकि विप्रार्थी की ओर से विवादित भूमि का संपरिवर्तन करवानें हेतु नगरपरिषद बालोतरा में पत्रावली दिनांक 14.10.2021 को प्रस्तुत कर दी गई थी और बाद जांच प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद बालोतारा द्वारा 90 A RLR ACT के तहत प्रश्नगत भूमि के आदेश दिनांक 12.11.2021 को पारित कर दिये थे,और उक्त आदेश के आधार पर प्रश्नगत भूमि नगर परिषद बालोतरा के नाम इन्द्राज हुई। उक्त तथ्यों को स्वंय तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है,कि प्रश्नगत भूमि की 90 ए के तहत कार्यवाही हो रखी है। स्वंय तहसीलदार द्वारा अकृषि उपयोग सहमति देने के उपरांत ही 90 ए कार्यवाही, सम्पादित हुई है,जब प्रश्नगत कृषि भूमि का अकृषिक कार्य हेतु 90 ए के तहत कार्यवाही हो चुकी थी,ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं है। विप्रार्थी नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर सकेगा।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signatur
Digitally s
Date: 202
Reason: S

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

[illegible] [illegible].12.2022

सहायक कलक्टर

(S.D.O.) [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:52:58 IST
Reason: SelfAttested